

**People-to-people contact between India and Pakistan**

2501. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer Unstarred Question 198 given in the Rajya Sabha on the 28th May, 1998 and state:

(a) whether any NGOs are involved in developing people-to-people contact between India and Pakistan; if not, whether Government would consider encouraging NGOs to build better relations; and

(b) whether Government would consider inviting a goodwill delegation from Pakistan during the concluding ceremony of India's 50th year of Independence?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): (a) Government are aware of some India NGOs who seek to promote good relations between the peoples of the two countries. Government are of the view that enhanced people-to-people contact promotes good-will between India and Pakistan. Towards this end, Government have taken a number of unilateral measures to ease issuance of visas to Pakistani- Nationals desirous of visiting India.

(b) No such proposal is under consideration at present.

**हज यात्रियों को दी जाने वाली राजसहायता को समाप्त करना**

2502. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस साल हज यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक हज यात्री को कितनी राजसहायता राशि दी गई और वह किस-किस मद पर दी गई;

(ग) सरकार द्वारा हज यात्रियों को दी जाने वाली राजसहायता की कुल राशि कितनी थी, और

(घ) क्या सरकार इस राजसहायता को समाप्त करने पर विचार करेगी ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) से (घ) इस वर्ष हज करने वाले भारतीय हज यात्रियों की संख्या 894,602 थी, जिनमें से 63,574 हज समिति के जरिये गए थे। हज में यात्री के व्यय को कम करने के लिए सरकार केवल उन यात्रियों के विमान के किराए में छूट देती है जो हज समिति के माध्यम से हज पर जाते हैं, ऐसा पहली बार 1992 में आरंभ किया गया था।

1992 के बाद से हज पर जाने के लिए विमान का चार्टर किराया 12,000 रु. तय किया गया और इस राशि और विमान चार्टर क. के साथ तय प्रति हज यात्री वास्तविक विमान किराए की राशि के बीच अन्तर की पूर्ति सरकार करती हैं। इस तरह से हज 1998 के लिए विमान चार्टर करने के साथ प्रति हज यात्री विमान किराया 30,770 रु. तय हुआ था, इसके फलस्वरूप प्रति हज यात्री 18,770 रु. विमान किराया सहायता दी गई थी जिससे हज समिति के सभी हज यात्रियों को दी गई कुल आर्थिक सहायता 119.44 करोड़ रु. हो गई। इसकी पूर्ति नागर विमानन मंत्रालय के बजट से की जाएगी। स्वतः अथवा निजी टूर संचालकों के माध्यम से जाने वाले हज यात्रियों को सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी जाती।

हज विमान किराए में दी जा रही सहायता को कम करने/समाप्त करने का प्रश्न पिछले कुछ वर्षों से सरकार के विचाराधीन रहा है, राजनीतिज्ञों, धार्मिक विद्वानों और शिक्षाविदों से परामर्श किया जा रहा है। अन्य देशों में प्रयोग में लाई गई प्रथा का अध्ययन किया जा रहा है। कुछ समय में इस मामले पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

**Visit of envoys/emissaries to foreign countries**

2503. DR. MOHAN BABU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of special envoys/emissaries who visited other countries to brief their leaders on the situation arising out of India's nuclear explosion; and

(b) the details thereof in each case and the out-come of these visits?